# लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता

# लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता

लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता चिन्ता एवं बहस का विषय है। औद्योगिक रुग्णता आर्थिक वृद्धि की प्रमुख रुकावट है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप संसाधन रुक जाते हैं, पूँजीगत परिसम्पत्तियों की बरबादी होती है, उत्पादन में कमी आ जाती है और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, रुग्णता से उधार दी जानेवाली निधियों के परिचालन की मात्रा में कमी आती है।

## रुग्णता के कारण

लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता के लिए प्राय: आन्तरिक एवं बाह्य दोनों तरह के कारण उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ कारण त्रुटिपूर्ण योजना, प्रबन्धकीय कमियाँ, अकुशल वित्तीय नियन्त्रण, संसाधनों को किसी अन्य दिशा में मोड़ना, अनुसन्धान एवं विकास पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाना, पुरानी प्रौद्योगिकी एवं मशीनरी, औद्योगिक सम्बन्धों में कमी होना, अपर्याप्त माँग, कच्ची सामग्री एवं अन्य पुर्जों की कमी, विद्युत कटौती, कार्यशील पूँजी की अपर्याप्तता, कार्यशील पूँजी की स्वीकृति में विलम्ब तथा आवधिक ऋण तथा कार्यशील पूँजी ऋण स्वीकृत किए जाने में अन्तराल, आधारिक संरचना में अड़चन, अनुषंगी सेवाओं के मामले में मदर यूनिट का काम न करना आदि हैं।

## रुग्ण लघु उद्योग इकाई की परिभाषा

किसी भी लघु उद्योग इकाई को 'रुग्ण' वर्गीकृत किया जाता है, यदि :

(क) इकाई के कोई भी उधार सम्बन्धी लेखे छह महीने से अधिक समय के लिए सब-स्टैण्डर्ड बने रहते हैं अर्थात् इसके उधार सम्बन्धी लेखों के सम्बन्ध में मूलधन अथवा ब्याज अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए अति देय बने रहते हैं। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अतिदेयता की आवश्यकता में उस समय भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब किसी लेखे के सब-स्टैण्डर्ड के रूप में वर्गीकरण की अवधि को किसी समय कम किया जाता है;

**अथवा**

(ख) पिछले लेखाकरण वर्ष के दौरान इसके निवल मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचित नकद हानियों के कारण निवल मूल्य में कमी आ जाती है;

**और**

(ग) इकाई दो वर्षों से वाणिज्यिक उत्पादन में है।

लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता की वर्षवार स्थिति परिशिष्ट-VIII में दी गई है।

## रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास और रूग्णता की पहचान के उपाय

लघु क्षेत्र में आरम्भिक स्तर पर ही रुग्णता करने और रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए सरकार ने समय-समय पर कई उपाय किए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित मुख्य नीतिगत उपाय किए हैं :

### (i) भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

लघु उद्योग क्षेत्र में संगत रुग्णता की गणना करने तथा कठिनाइयों का सामना करने के लिए तथा लघु उद्योग इकाइयों एवं अति लघु उद्योग इकाइयों के बीच अन्तर और इसके अतिरिक्त अति लघु उद्योग इकाइयों तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में इकाइयों, जिनमें कलाकार, ग्रामीण एवं औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं, के बीच अन्तर करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी,1987 में मार्गनिर्देशों का एक सैट जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—आरम्भिक रुग्णता की परिभाषा, रुग्ण लघु उद्योग इकाइयाँ, रुग्ण इकाइयों की जीवनक्षमता, सम्भाव्य जीवनक्षम इकाइयों के पुनर्वास के लिए राहतें एवं रियायतें। लघु उद्योग इकाइयों के मामले में पुनर्वास प्रयासों एवं गहन राहत उपायों पर अपर्याप्त बल दिया गया तथा इसकी तुलना

में पुनर्वास के लिए लम्बा समय दिया गया। इन मार्गनिर्देशों को जून, 1989, 1993 और 2002 में संशोधित किया गया।

**(ii) राज्य स्तरीय अन्त: सांस्थानिक समिति ( एस एल आई आई सीज )**

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की सलाह पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्त: सांस्थानिक समितियों की स्थापना की है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना एवं क्रेडिट विभाग के स्थानीय प्रभारी अधिकारी संयोजक के रूप में शामिल हैं, जो लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की सूचना एवं उन पर विचार-विमर्श के आदान-प्रदान के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करती हैं। समिति में लघु उद्योग सेवा संस्थान, लघु उद्योग विकास निगम, राज्य वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और सम्बन्धित राज्य में प्रमुख भूमिका वाले बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अन्य बैंक/संगठन, जिनका सहयोग समिति के विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझा जाता है, उन्हें उस विशेष बैठक के लिए विशेष तौर पर आमन्त्रित किया जाता है। समिति की बैठक तिमाही में एक बार होती है तथा यह जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास से सम्बन्धित विभिन्न पार्टियों को एक साथ लाती है, ताकि सहमति के आधार पर पुनर्वास के लिए विस्तृत पैरामीट्रज तैयार हो सकें। सामान्यत: समिति उन मामलों पर कार्य करती है जो बिक्री कर, विद्युत बिलों को आस्थगित किए जाने जैसी अन्य समस्याओं की क्रेडिट शर्तों के साथ सम्बद्ध होते हैं; तथा ऐसे मामले जहाँ अध्ययनों की व्यवहार्यता/औचित्य अध्ययन किए गए हैं और इकाई जीवनक्षम नहीं पाई गई है परन्तु इकाई की प्रबन्ध समिति ऐसे अध्ययन के निष्कर्षों से सन्तुष्ट नहीं हैं और ऐसे मामले जहाँ रुग्ण इकाइयों, वित्तीय संस्थानों एवं सरकारी अभिकरणों के बीच सामान्य पारस्परिक क्रिया द्वारा पैकेज पर पारस्परिक सहमति नहीं बन पा रही हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी है कि वे लघु उद्योग एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को छ: महीने में एक बार एस एल आई आई सी की बैठकों में आमन्त्रित करें, जिनमें केवल लघु उद्योग इकाइयों के नीति सम्बन्धी मामलों पर बातचीत की जा सके।

**(iii) नायक समिति**

भारत सरकार के अनुरोध पर लघु उद्योग क्षेत्र सांस्थानिक क्रेडिट की यथेष्टता तथा सम्बन्धित पहलुओं की जाँच करने के लिए स्थापित की गई नायक समिति ने रुग्णता के मामले की व्यापक जाँच की और रुग्णता से निपटने के लिए कई उपायों की सिफारिश की।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास पर नायक समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही की है। ये रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा तथा पुनर्वास पैकेजों के भाग के रूप में मंजूर किए गए कार्यशील पूँजी आवधिक ऋण के लिए लागू ब्याज की दर में परिवर्तन करने से सम्बन्धित हैं।

लघु उद्योग इकाइयों के बीच रुग्णता की समस्या से शीघ्रता से निपटने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे प्रमुख मुख्यालय में कक्ष के अतिरिक्त प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्रों में भी कक्षों की स्थापना करें, ताकि वे औद्योगिक इकाइयों में रुग्णता पर कार्यवाही कर सकें तथा तकनीकी पहलुओं पर तकनीकी व्यक्तियों द्वारा निगरानी रखे जाने सहित विशेषज्ञ स्टाफ मुहैया करा सकें।

**(iv) लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम के सुधार के लिए कपूर समिति**

क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को और अधिक प्रभावी, सरल तथा प्रशासन के लिए कुशल बनाने की दृष्टि से लघु उद्योगों के लिए सिस्टम की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कपूर समिति की स्थापना की, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योगों में रुग्णता के मामले पर विचार किया। रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के शीघ्र पुनर्वास के लिए समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं—

(क) लघु उद्योग इकाई को रुग्ण इकाई के रूप में वर्गीकरण की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए लघु उद्योग इकाई के कार्य न करने की अवधि को 2 वर्ष से कम करके 1 वर्ष करना।

(ख) एक विशेष सांविधिक आदेश के अन्तर्गत राज्य स्तरीय अन्त: सांस्थानिक समितियों (एस एल आई आई सीज) को सांविधिक निकाय के रूप में परिवर्तित करना ताकि वे रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास में प्रभावी भूमिका अदा करना।

(ग) लघु उद्योगों के संकेन्द्रण वाले जिलों में शाखाएँ/एस एल आई आई सीज की शाखाएँ स्थापित करना।

(घ) बैंकों द्वारा सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों को हाथ में लेने को प्रोत्साहित करने के लिए आप मान्यता एवं परिसम्पत्ति वर्गीकरण राशियों में छूट प्रदान करना।

**(v) रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल**

भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के सम्बन्ध में विद्यमान मार्ग-निर्देशों की समीक्षा करने तथा उन्हें वर्तमान रुग्ण एवं सम्भाव्य जीवनक्षम लघु उद्योग रुग्ण इकाइयों के लिए पारदर्शी तथा गैर-स्वेच्छानिर्णायक बनाने के लिए मार्गनिर्देशों के संशोधन की सिफारिश करने के लिए मई, 1999 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस. एस. कोहली की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया। कार्यकारी दल ने मई, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा, रुग्ण इकाइयों का जीवनक्षम बनाने के मानदण्डों में परिवर्तन करना आदि शामिल है। संशोधित परिभाषा से बैंकों द्वारा इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए आरम्भ में ही कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा। कार्यकारी दल की स्वीकार की गई सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए संशोधित मार्गनिर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें 16 जनवरी, 2002 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कार्यान्वयन के लिए परिचालित किया गया है।

सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए राहतों एवं रियायतों की मंजूरी के लिए व्यापक पैरामीटर निम्नलिखित हैं—

| | |
|---|---|
| (i) कार्यशील पूँजी | प्रचलित नियत/मूल उधार दर, जहाँ लागू होती है, के नीचे 1.5 प्रतिशत ब्याज |
| (ii) फंडिड ब्याज आवधिक ऋण | ब्याज युक्त |
| (iii) कार्यशील पूँजी आवधिक ऋण | प्रचलित नियत/मूल उधार दर, जहाँ लागू होती है, के नीचे 1.5 प्रतिशत पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा। |
| (iv) आवधिक ऋण | डाक्युमेंट रेट के नीचे ब्याज में रियायतें अधिक से अधिक 2 प्रतिशत तक दी जाएँगी (टाईनी/डिसैन्ट्रालाइज्ड सैक्टर यूनिटों के मामले में अधिक से अधिक 3 प्रतिशत) |
| (v) आकस्मिकता ऋण सहायता | कार्यशील पूँजी सहायता के लिए रियायती दर स्वीकार की जाएगी |
| (vi) अतिरिक्त कार्यशील पूँजी | ब्याज दरें अब मूल उधार दर से अधिक हैं। |

मार्च, 2002 के अन्त तक रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की राज्यवार व्यवहार्यता स्थिति परिशिष्ट - IX में दी गई है।